

न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारी:- श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. :- 05/2024

प्रार्थीगण	वनाम	अप्रार्थीगण
1. ईलमदीन पुत्र श्री उस्मान खॉ 2. उमराव पुत्र श्री हासमदीन दोनो जाति मुसलमान (जुणेजा) निवासी जुणेजा की ढाणी (लोर्डिया) तहसील फलोदी, जिला फलोदी।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी 2. श्रीमति भंवरीदेवी पत्नि श्री किशनलाल 3. रामचन्द्र पुत्र श्री किशनलाल 4. महेन्द्र पुत्र किशनलाल 5. गोपाल पुत्र किशनलाल 6. इन्द्रा पुत्री किशनलाल 7. गुडिया पुत्र किशनलाल 8. सीमा पुत्र किशनलाल सभी जाति मेगवाल निवासी मेघवालों का बास, मलार रोड़, फलोदी जिला फलोदी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम) 1970 वास्ते निरस्त करने आवंटन बजरिये आवंटन बुक नंबर 24 आदेश दिनांक 29.09.1970 द्वारा पारित करते हुए खसरा संख्या 165 (वर्तमान खसरा संख्या 165/1) रकबा 25 बीघा भूमि ग्राम लोर्डिया (वर्तमान ग्राम जुणेजो की ढाणी) तहसील फलोदी

उपस्थित वकील -:

प्रार्थी की ओर से- अधिवक्ता श्री सिकन्दर घोषी।

अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की ओर से:- अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा।

निर्णय

दिनांक:- 22/01/2025

1. राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम) 1970 वास्ते निरस्त करने आवंटन बजरिये आवंटन बुक नंबर 24 आदेश दिनांक 29.09.1970 द्वारा पारित करते हुए खसरा संख्या 165 (वर्तमान खसरा संख्या 165/1) रकबा 25 बीघा भूमि ग्राम लोर्डिया (वर्तमान ग्राम जुणेजो की ढाणी) तहसील फलोदी के विरुद्ध मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की है।
2. राजस्व प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कि ग्राम लोर्डिया वर्तमान में नया गांव जुणेजों की ढाणी पटवार हल्का लोर्डिया तहसील फलोदी जिला फलोदी में स्थित खसरा संख्या 165 (वर्तमान खसरा संख्या 165/1) रकबा 25 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 02 से 08 के विक्रेता कालूडी पत्नि श्री रूगाराम जाति मेघवाल निवासी लोर्डिया के नाम से बिल्कुल गलत व नियमों के विपरित किया गया है। वक्त आवंटन आवंटी कालूडी पत्नि श्री रूगाराम द्वारा आवंटन के बाद भी आवंटित भूमि पर कोई कब्जा काशत नहीं रहा है। और न ही आवंटन से पूर्व उक्त भूमि पर कभी उसका कब्जा काशत रहा है और न ही वह भूमि हीन थी और न ही उसने कोई भूमिहीन होने का प्रमाणपत्र पेश ही किया था। वक्त आवंटन आवंटी कालूडी पत्नि श्री रूगाराम ने उक्त भूमि आवंटन के लिये कोई आवेदन नहीं किया था मात्र हल्का पटवारी व सरपंच द्वारा उक्त कालूडी पत्नि श्री रूगाराम के नाम से आवंटन बताकर नामान्तरकरण संख्या 06/159 भरकर स्वीकृत कर दिया गया जबकि ऐसा कोई आवंटन आदेश न तो पारित किया गया था और न ही ऐसा कोई आवंटन आदेश एवं आवंटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्तित्व में है। खसरा संख्या 165 जो बहुत बड़े भू भाग में स्थित है। वक्त आवंटन खसरा संख्या 165 के बहुत बड़े भू भाग पर

जिला कलक्टर
फलोदी

न तो आवंटी ने किसी भी स्थान पर कब्जा तत्कालीन पटवारी से मौके पर प्राप्त किया और न ही तरमीम करवायी गयी। प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के अन्य लोगो की संयुक्त पैतृक कब्जा काश्त भूमि ग्राम लोर्डिया वर्तमान राजस्व गांव जुणेजो की ढाणी तहसील फलौदी के खेत खसरा संख्या 165 रकबा 60 बीघा आयी हुई है। जिसमें प्रार्थीगण व अन्य परिवार के लोगो का अलग-अलग रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें वक्त सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक कब्जा काश्त है तथा मौके पर पक्की रहवासी ढाणीया व पानी के टांके एवं पशुओ के बाड़े इत्यादि बने हुए है। आवंटन आदेश विधि विरुद्ध एवं नियमों के विरुद्ध पारित आवंटन को निरस्त करवाने हेतु राजस्व प्रार्थना पत्र आपके क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थीगण ने याचिका न्यायालय में पेश किया है।

3. पत्रावली जरिये प्रार्थी श्री सिकन्दर घोषी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम) 1970 के तहत पेश की गई जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को भेजे गये सम्मन की डाक रसीदे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा व अन्य द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार फलौदी को आवंटन से संबधित मूल रिकार्ड प्रस्तुत करने को आदेशित किया गया। तहसीलदार फलौदी द्वारा कार्यालय में कार्यरत कार्मिको की टीम का गठन किया जाकर उपखण्ड कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का निरीक्षण करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आवंटन रिकार्ड के संबध में आवंटन आदेश एवं उसके सम्बधित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुवे है एवं आवंटन आदेश नहीं प्राप्त होने की दशा में तहसील कार्यालय से थानाधिकारी पुलिस थाना फलौदी में आवंटन आदेश एवं उसके संबधित दस्तावेज की मूल पत्रावली की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवायी जाने से सम्बधित शपथ पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।

4. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम लोर्डिया वर्तमान में नया गांव जुणेजों की ढाणी पटवार हल्का लोर्डिया तहसील फलौदी में स्थित खसरा संख्या 165 (वर्तमान खसरा संख्या 165/1) रकबा 25 बीघा भूमि दिनांक 29.09.1970 में आवंटी कालूडी पत्नि रूगाराम के नाम से नियमों के विपरित आवंटित हुई थी। उक्त आवंटन का तहसीलदार कार्यालय में कोई दस्तावेज एवं रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। आवंटित भूमि पर कोई कब्जा काश्त आवंटी का कभी भी नहीं रहा और आवंटी कालूडी ने उक्त स्वयं का कोई भूमिहीन होने का कोई प्रमाण पत्र पेश किया था। खसरा संख्या 165 जो बहुत बड़े भू भाग में स्थित है। वक्त आवंटन खसरा संख्या 165 के बहुत बड़े भू भाग पर न तो आवंटी ने किसी भी स्थान पर कब्जा तत्कालीन पटवारी से मौके पर प्राप्त किया और न ही तरमीम करवायी गयी। नामान्तरकरण संख्या 6/159 नकली व तथाकथित आवंटन की आदेश की आधार पर स्वीकृत किया गया है। आवंटी ने आवंटन होने के बाद के बाद उक्त भूमि का बेचान कर दिया गया। प्रार्थीगण के द्वारा तहसीलदार कार्यालय में उक्त अपीलाधीन आवंटन का रिकार्ड की प्रति चाही गई तो तहसीलदार कार्यालय में उक्त आवंटन में संबध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताया गया। निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 से 8 के विक्रेता कालूडी पत्नि श्री रूगाराम मेघवाल निवासी लोर्डिया तहसील फलौदी के नाम से दिनांकित 29.07.1970 को किये गये आवंटन आदेश बजरिये आवंटन बुक संख्या 24 के जरिये ग्राम लोर्डिया वर्तमान राजस्व गांव जुणेजों की ढाणी के खसरा नंबर 165 रकबा 25 बीघा भूमि आवंटन /नियमन आदेश को निरस्तज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
फलौदी

5. अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण ने मूल आवंटी को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिए प्रार्थीगण का आवंटन के संबध में कोई अधिकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) में नहीं बनता है। पूर्व में न्यायालय तहसीलदार

फलौदी द्वारा प्रकरण राजस्थान सरकार वगैरा बनाम सालेमोहम्मद वगैरा में प्रार्थीगण के विरुद्ध अधिनियम 183 (वी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिनांक 03.12.2017 को निर्णय किया जा चुका है। प्रार्थीगण ने एक नियमित वाद न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्तर्गत धारा 188,92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में इलमदीन बनाम भंवरीदेवी पेश की जो दिनांक 15.03.2021 को खारिज हो चुकी है। उक्त निर्णय की अपील प्रार्थीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में पेश की, जिसका भी निर्णय दिनांक 18.12.2023 को इलमदीन वगैरा के विरुद्ध हो चुका है। न्यायालय राजस्व प्राधिकारी जोधपुर में पारित निर्णय की अपील प्रार्थीगण ने न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान में पेश की जो आदिनांक तक विचाराधीन है। मूल आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद ही उक्त भूमि को बेचान किया गया है। इस आधार पर मूल आवंटी के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने न्यायिक दृष्टांत RRT 2014 (2) PAGE 1150, RRT 2019 (2) PAGE 1437, RRT 2001 (2) PAGE 870], RRT 2020 (1) PAGE 246, RRT 2017 (2) PAGE 1373, RRT 2006 (2) PAGE 1171, RRT 2006 (2) PAGE 1325, RRT 2002 (1) PAGE 376, RRT 2005 (1) PAGE 86, RRT 2005 (1) PAGE 556, RRT 2017 (2) PAGE 972, RRT 2001 (2) PAGE 999, RRT 2001 (2) PAGE 1185, RRT 2001 (2) PAGE 1219, RRT 2006 (1) PAGE 186, RRT 2016 (1) PAGE 82, RRT 2017 (2) PAGE 144, RRT 2016 (2) PAGE 769, RRT 2024 PAGE 1321 V पेश किये। प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की जानकारी बहुत समय पूर्व से थी। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन व गलत तथ्यों पर प्रस्तुत होने के कारण स्वयं काबिल निरस्ती के हैं। अतः निगरानीकर्ता की राजस्व प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस एवं दौराने बहस प्रस्तुत दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार फलौदी के द्वारा आवंटन रिकार्ड के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तर्कों पर विचार मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में नामान्तरकरण संख्या 162 की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम 14 से 16 में अंकित किया गया है कि प्रकरण में आवंटन बुक संख्या 24 दिनांक 29.10.1970 को किये गये आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। प्रार्थी का तर्क है कि ऐसा कोई आवंटन आदेश पारित ही नहीं किया गया और न ही आवंटी कालूडी पत्नि श्री रूगाराम द्वारा आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा इस संबन्ध में समर्थन हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी आवंटन समर्थन में की गई प्रविष्टि को बनावटी मानता है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी का कथन है कि तहसीलदार कार्यालय में आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति की नकल के लिए आवेदन किया था किन्तु उसे नकल नहीं दी गई। इसी प्रकार उसका तर्क है कि तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 19.06.2024 , 21.08.2024, 18.09.2024 , 24.09.2024, 23.10.2024 से प्रकट है कि आवंटन सम्बन्धी रिकार्ड तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि आवंटन आदेश अस्तित्व में नहीं है एवं बनावटी आधारों पर आवंटन दर्ज किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी के नकल आवेदन पर तहसीलदार द्वारा दी गई रिपोर्ट एवं तहसीलदार फलौदी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के सावधानीपूर्वक अवलोकन के पश्चात हमारा मत है कि प्रस्तुत रिकार्ड से आवंटन प्रक्रिया का नहीं होना सिद्ध नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन है कि वर्ष 1970 का रिकार्ड संधारित नहीं होने के कारण नकल नहीं दी जा सकती है। तहसीलदार कार्यालय के कार्मिक राकेश व्यास, राजेन्द्रसिंह , मनोहरसिंह, एवं सदीक खां द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में यह अंकन किया है कि समुचित दस्तावेजों की मूल पत्रावली तलाशने के बावजूद उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस सम्बन्ध में गुमशुदगी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। इससे यह प्रकट होता है कि कार्यालय से उक्त रिकार्ड गुम हुआ है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि ऐसा कोई आदेश व पत्रावली अस्तित्व में ही नहीं थी। मात्र संदेह के आधार पर 1970 में किये गये कथित आवंटन निरस्त किया जाना न्यायपूर्ण नहीं है। प्रार्थी द्वारा अन्य तर्क यह प्रस्तुत

जिला कलेक्टर
फलौदी

किया गया है कि आवंटी आवंटन के समय न तो भूमिहीन थे और न ही लोर्डिया के ग्रामवासी थे, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू- आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अनुसार कलक्टर को उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा किये गये आवंटन को स्वमेव या किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर निरस्त करने का अधिकार है, यदि यह सिद्ध होता है कि आवंटन कपट या मिथ्या वर्णन के आधार पर प्राप्त किया गया हो या आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि आवंटन मिथ्या वर्णन या कपट द्वारा प्राप्त किया गया है या आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का तर्क है आवंटी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, बल्कि मौके पर पक्की रहवासीय ढाणीयां एवं पानी की टंकीया बनी हुई है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी का तर्क है कि आवंटी कालूड़ी पत्नि रूगाराम को विधिवत आवंटन किया गया था और आवंटन की विधिवत पालना के पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 02 से 08 के पूर्वजों को किया गया है। प्रकरण में प्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत बेदखली की कार्यवाही की गई है। तहसीलदार फलौदी न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.2010 को प्रकरण संख्या 03/2009 में बेदखली का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर में उमराव वगैरह द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। किन्तु अपील में प्रार्थीगण को कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। बल्कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर के द्वारा बेदखली का आदेश यथावत रखा गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तर्क महत्वहीन हो जाता है। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा यह बिन्दु भी उठाया गया है कि मूल आवंटी को प्रार्थना पत्र में पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु है। उक्त नियम 1970 के नियम 14 (4) के परन्तुक के अनुसार आवंटन निरस्तीकरण का कोई भी आदेश आवंटी को सुनवाई का अवसर किए बिना पारित नहीं किया जा सकता।
8. अप्रार्थीगण द्वारा RRT 2024 Vol. (II) में पेज 1321 में वर्णित हबीब बनाम चन्द्रसिंह के मामले का उद्धरण प्रस्तुत कर तर्क किया है कि जब नियमित राजस्व वाद विचाराधीन हो तो नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रतियो के अनुसार प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी फलौदी के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 246/2010 खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु धारा 15,88,188 व 92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इलमदीन वगैरा अप्रार्थीगण भंवरी देवी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद दिनांक 15.03.2021 को अधिवक्ता वादी आदेश 23 नियम 1 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रत्याहरित किया गया है। अधिवक्ता विचारण न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसका निर्णय भी 18.12.2023 को प्रार्थी इलमदीन के विरुद्ध किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल में विचाराधीन होना अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा होना बताया है। उक्त उद्धरण में न्यायालय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा यह अवधारित किया गया है कि नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए नियम 14 (4) का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। इसी प्रकार अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा RRT 2023 Vol. (II) में पेज नं. 1370 में वर्णित राज बनाम रतनसिंह का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए तर्क किया है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के बाद लम्बे समय के उपरान्त आवंटन निरस्त किया जाना अवैध है। किसी पक्षकार को आराजी के आवंटन पश्चात खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने के उपरान्त बिना किसी ठोस या युक्तियुक्त आधार के आवंटन निरस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अतिक्रमी को आवंटन को चुनौती दिये जाने का अधिकार नहीं है। RRT 2014 Vol. (II) पेज नं. 1150, RRT 2019 Vol. (II) में पेज नं. 1437, RRT 2001 Vol. (II) में पेज नं. 870 का उद्धरण पेश किया है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा मियाद का बिन्दु उठाते हुए बताया कि प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की जानकारी थी। दिनांक 20.08.2000

को आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रकट है कि 246/2010 में वाद पत्र में प्रश्नगत आवंटन का विवरण दिया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रकट है कि वाद संख्या 246/2010 के वाद पत्र में प्रश्नगत आवंटन का विवरण दिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को प्रश्नगत आवंटन आदेश की जानकारी 2010 से पूर्व से जानकारी थी। इस प्रकार उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिकथनों को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र तहत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम) 1970 को खारिज किया जाता है।

9. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।
निर्णय आज दिनांक ~~22.01.2022~~ 22.01.2022 सरेइजलास सुनाया गया।



हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलेक्टर, फ़रोज़पुर
फ़रोज़पुर